जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 31.05.2024

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत भुजैनी से इवेन्ट संख्या 31215 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (**01-संदीप सिंह पुत्र उदय प्रताप निवासी हरदीपार जनपद देवरिया, 02- अशोक पुत्र रामनरेश निवासी पिपरानग मठिया जनपद कुशीनगर)** के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 राकेश साहनी, का0 लल्लन पासवन, आ0चा0 अम्बरीश यादव ।**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 28 वाहनों से 62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 28 वाहनों से 62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 31.05.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए महिला से दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामकृपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा **थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत** मु0अ0सं0 418/24 धारा 376डी/354/328/342/506 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1. शिवकुमार मौर्या उर्फ शिवा पुत्र दयाराम निवासी बलुअरा जंगलउन थाना कोतवाली खलीलाबाद 2. राहुल मौर्य पुत्र मुनीब मौर्य निवासी भीटी रावत थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर तथा 3. प्रशांत गुप्ता पुत्र राम आशीष निवासी खटौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तगण को अविलम्ब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार (रजि0नं0 UP 58 AE 7315)।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामेश्वर यादव, व0उ0नि0 श्री राजेश दूबे, का0 पंकज विश्वकर्मा, का0 पंकज कुमार, म0का0 मनीषा यादव।